

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भू-अर्जन निदेशालय

अधिघोषणा

संख्या 2966/210

पटना, दिनांक 17/12/11

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा बघवाहाट थाना नं०-83 थाना-बनगाँव प्रगना उत्तराखण्ड, अंचल-महिषी, जिला-सहरसा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् कोशी नदी पर बलुआहा घाट से गंडौल के बीच पहुँच पथ सहित आर०सी०सी० पुल के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वकित्त ग्राम-बघवाहाट थाना नं०-83 के भीतर एक भू-खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कम वो वेश, वीघा, कट्टा, धुर, छटांग जो कृषि योग्य बंजर है जिसका रकबा कुल 24.77 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा संख्या निम्न प्रकार है :-

पूर्ण खेसरा संख्या - 82, 83, 84 अंश खेसरा संख्या-85, 92, 93, 130, 132, 133, 135, 136, 139, 140, 215, 227, 228, 231, 232 पूर्ण खेसरा संख्या- 234, अंश खेसरा संख्या-235, 236, 239, पूर्ण खेसरा संख्या-240, अंश खेसरा संख्या-241, 242, 243, 281, 282, 283, 284, 286, 289, 291, 293 पूर्ण खेसरा संख्या-298, अंश खेसरा संख्या-299, 300, 1049, 1050, 1052, 1053, पूर्ण खेसरा संख्या-1054, 1055, अंश खेसरा संख्या-1056, 1062, पूर्ण खेसरा संख्या-1063 अंश खेसरा संख्या-1064, 1088, 1088/2060, 1124, 1125, 1126, पूर्ण खेसरा संख्या-1127, 1128, 1129, अंश खेसरा संख्या-1130, 1133, 1134, 1134/2073, 1138, 1145, पूर्ण खेसरा संख्या-1146, 1147, 1148 अंश खेसरा संख्या-1149, 1152, पूर्ण खेसरा संख्या-1153, 1154, अंश खेसरा संख्या-1155, 1156, 1156/2059, 1157, 1517, 1518, 1519, 1523, 1524, 1531, 1532 पूर्ण खेसरा संख्या-1533, 1533/2079 अंश खेसरा संख्या-1539, 1576, 1610, 1614, 1615, 1617, पूर्ण खेसरा संख्या-1618, 1619, 1620 अंश खेसरा संख्या-1621, 1628, 1629, 1631 पूर्ण खेसरा संख्या-1632, 1633 अंश खेसरा संख्या-1990, 1984, 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 1133/2075, अंश खेसरा संख्या-1534, 44 1634, 80, पूर्ण खेसरा संख्या-233 अंश खेसरा संख्या-301, 1046, पूर्ण खेसरा संख्या-1051 अंश खेसरा संख्या-1061, 1123, 1134/2083, 1137, 1611

इसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-

उत्तर	अंश खेसरा संख्या-215, 231, 232, 228, 227, 140, 139, 136, 135, 133, 132, 130, 85, 91, 92, 93, 80, 78, 1046, 1157, 1156, 1156/2095, 1155, 1152, 1149, 1145, 1139, 1138, 1134, 1137, 2083, 2073, 2075, 1133, 1610, 1611, 1615, 1614, 1616, 1617, 1621, 1632, 1631, 1630, 1629, 1628, 1576, 1539, 1535, 1534, 1531, 1532, 1524, 1523, 1519, 1518, 1517
दक्षिण	अंश खेसरा संख्या-235, 239, 239, 241, 242, 243, 282, 283, 281, 284, 286, 289, 291, 293, 299, 300, 301, 1046, 1049, 1050, 1052, 1053, 1057, 1058, 1061, 1062, 1064, 1060, 1088, 1123, 1133, 1130, 2083, 2073, 1124, 1125, 1634, 1990, 1997, 1996, 1995, 2002, 2003, 2004, 1994
पूर्व	सीमा रेखा मौजा भेलाही कला वो खुर्द नं०-66
पश्चिम	सीमा रेखा मौजा गंडौल नं०-72

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पडने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1894 एवं भू-अर्जन संशोधन नियम 1984 की धारा 6 एवं अधिनियम 18-1885 की धारा 3 के खण्ड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध है। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
R
6/12/12
समाहर्ता
सहरसा

GW
17/12/12
जिला भू-अर्जन अधिकारी
सरकार के सचिव

बिहार, पटना

ज्ञापांक 2966/रा०/रा० पटना, दिनांक 17/12/12

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना 800015 को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी०डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी उप समाहर्ता जिला गजट, सहरसा को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की पाँच-पाँच प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, सहरसा को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता/अपर समाहर्ता एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

GW
17/12/12
सरकार के सचिव

बिहार, पटना